

5052

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 985/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 986/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU KANPUR
UTTAR PRADESH

WITH

IN RE: WATER POLLUTION AT RANIA KANPUR DEHAT & RAKHI
MANDI KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH

WITH

NEWS REPORT PUBLISHED IN DAINIK JAGRAN DATED 14.08.2023
“HIGHLIGHTS A GROWING CONCERN REGARDING INDUSTRIAL
POLLUTION IN THE GODHRAULI VILLAGE”

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ACTION TAKEN REPORT BY THE DISTRICT MAGISTRATE, FATEHPUR, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.11.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE IIT KANPUR PROPOSAL IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	COPIES OF LETTERS DATED 06.01.2026 AND 12.01.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF MOM DATED 08.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 31.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF MOM DATED 31.01.2026 OF THE MEETING DATED 28.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

7.	A COPY OF MOM DATED 12.01.2026 OF MEETING DATED 18.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
----	---	--


THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bpsjadon@gmail.com)
PHONE NO.-7838248353

Date: 02.02.2026

Place: Noida



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 985/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 986/2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU KANPUR
UTTAR PRADESH

WITH

IN RE: WATER POLLUTION AT RANIA KANPUR DEHAT & RAKHI
MANDI KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH

WITH

NEWS REPORT PUBLISHED IN DAINIK JAGRAN DATED 14.08.2023

"HIGHLIGHTS A GROWING CONCERN REGARDING INDUSTRIAL
POLLUTION IN THE GODHRAULI VILLAGE"

ACTION TAKEN REPORT BY THE DISTRICT MAGISTRATE,
FATEHPUR, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER




DATED 25.11.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL

I, Ravinder Singh, aged about 34 years, S/o Sh. Dev Karan Singh, posted as District Magistrate, Fatehpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. The Hon'ble Tribunal, in these Original Applications, is examining the issues pertaining to the chromium dumps, groundwater contamination and health issues pursuant thereto in the districts Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur.
4. That, the matter was last listed for hearing on 25.11.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the following:



"13. The Learned Counsel for the State of U.P and Learned Amicus Curiae are granted 03 weeks' time to place on record the further affidavit keeping in view the observations made above.

14. List on 03.02.2026."


REPLY IS AS FOLLOWS

I. REGARDING MAPPING OF CONTAMINANTS IN SURFACE WATER, GROUNDWATER, SOIL AND AIR THROUGH IIT, KANPUR

5. That, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal and the expert recommendations of the learned Director, AIIMS, New Delhi, a proposal has been prepared by IIT Kanpur for conducting a cluster-based sample survey and mapping in the districts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, and Fatehpur. The said survey aims to assess contaminants present in surface water, groundwater, industrial effluents, soil, and ambient air.

A copy of the IIT Kanpur proposal is annexed herewith and marked as *Annexure-1*.

6. That, as per the said proposal, the survey shall be conducted in two phases. In Phase-1, sampling and mapping shall be undertaken in the pre-identified affected areas of the three districts. Thereafter, in Phase-2, the survey shall be extended to the remaining areas, thereby covering the



districts comprehensively. Upon completion, IIT Kanpur shall also undertake **GIS-based regional contaminant mapping**.

7. That, under Phase-1, approximately 100 surface water samples, 300 groundwater samples, 300 soil samples, and 100 ambient air samples shall be collected and analysed from each of the three districts. The number and nature of samples for Phase-2 shall be determined based on the outcomes of Phase-1.
8. That, as per the proposal, Phase-1 of the study is expected to require approximately **six months** after budgetary allocation. Phase-2 shall require an additional period of **six to twelve months**, depending upon the scale of further sampling and analysis, to be finalized after evaluation of Phase-1 result.
9. That, upon completion of the survey and mapping exercise, IIT Kanpur shall provide, inter alia, the following deliverables:
 - Comprehensive environmental database for 3 districts.
 - Identification of heavy-metal contamination zones
 - Soil fertility and degradation mapping
 - Air quality and air pollution maps
 - GIS-based contamination maps
 - Recommendations on mitigation/adaptation measures




10. That, IIT Kanpur has proposed an estimated budget of **Rs. 2,65,50,000/-** (**Rupees Two Crore Sixty-Five Lakh Fifty Thousand only**) for the aforesaid study. The District Magistrate, Kanpur Dehat, vide letter No. 824/Sa/R-130/2026 dated **06.01.2026**, has forwarded the proposal to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Lucknow for financial approval. Further, the District Magistrate, Kanpur Nagar, vide letter No. 1166/Sa-147/26 dated **12.01.2026**, has also forwarded the same to the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare Department, Lucknow, for obtaining the necessary financial approval. Copies of letters dated 06.01.2026 and 12.01.2026 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-2*.

II. REGARDING CLUSTER BASED BLOOD SAMPLE SURVEY UNDER THE GUIDANCE OF GSVMM COLLEGE, KANPUR NAGAR AND AIIMS, NEW DELHI

i. Phase-1

11. That, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal and the expert recommendations of the learned Director, AIIMS, New Delhi, a meeting was convened at GSVMM College, Kanpur on **08.01.2026**, in the presence of representatives of the Medical College and the CMOs of the three districts, wherein SOP for conducting Phase-1 of the cluster-based blood sample survey across the said districts was prepared.



A copy of MOM dated 08.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-3*.

12. That, as per the prescribed SOP, Phase-1 of the survey is to be conducted in the **pre-identified areas** of the districts with the technical assistance of GSVMM College. Clusters are to be demarcated in each such area based on its population. From each cluster, 30 households shall be selected, and from each household, two blood samples shall be collected—one from a child below 5 years of age and one from an adult above 18 years of age.

13. That, as per the SOP, health camps shall continue to be organized in all three districts for clinical assessment, treatment, and awareness of the affected population. In case any person is found symptomatic, necessary treatment and follow-up shall be undertaken at GSVMM College.

14. That, the Chief Medical Officer, Fatehpur, vide dated **31.01.2026**, has informed that under Phase-1 of the cluster-based blood sample survey in District Fatehpur, **four pre-identified affected areas** have been included. In these areas, **ten clusters** have been identified, from which blood samples are to be collected from a total of **300 households**, i.e., one child below 5 years of age and one adult above 18 years of age from each household (**total 600 samples**).

A copy of letter dated 31.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.



15. That, vide the aforesaid letter dated **31.01.2026**, it has further been informed that during Phase-1 of the survey, a total of **568** blood samples have been collected. Out of these, **333** samples have already been sent for testing to the RML Institute, Lucknow, and the remaining **235** samples has also been sent on 31.01.2026. **The test reports of all the samples are presently awaited.**

ii. Phase-2

16. That a meeting was convened at GSVMM Medical College, Kanpur on **28.01.2026**, in the presence of representatives of the Medical College and the Chief Medical Officers of the three districts, wherein the SOP for conducting Phase-2 of the cluster-based blood sample survey across the said districts was finalized.

A copy of MOM dated 31.01.2026 of the meeting dated 28.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-5*.

17. That, in the aforesaid meeting, it was decided that Phase-2 of the survey shall be conducted in accordance with the SOP followed in Phase-1 and shall be concluded within **one year** of the completion of Phase-1. It was further resolved that the number and location of clusters/samples for Phase-2 shall be identified based on the test results obtained from Phase-1.



III. FURTHER COMPLIANCE W.R.T. RECOMMENDATION NO. 11(REMOVAL OF CHROMIUM, MERCURY AND ASH FROM THE AFFECTED AREA)

18. That, it is most respectfully submitted that a meeting was held on **18.12.2025** under the chairmanship of the Chief Secretary, Uttar Pradesh, to deliberate upon the lifting and disposal of chromium waste lying at Village Godhrauli, District Fatehpur.

A copy of MOM dated 12.01.2026 of meeting dated 18.12.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-6*.

19. That, during the meeting held on **18.12.2025**, it was decided that a **4-Member Committee** shall be constituted under the chairmanship of a Director-level representative of the CPCB to determine the suitable technology/institution and to finalize the rates for disposal of chromium waste through TSDF, as well as for remediation of the affected soil and groundwater. It was further resolved that a **5-Member district-level sub-committee** shall also be constituted for execution and monitoring of the said works at the local level under the chairmanship of the ADM

(Administration), Fatehpur.



20. That the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh, vide letter No. NGT-71/81-7-2026-44(Writ)/2016/TC-2 dated 27.01.2026, has directed that the 4-Member Committee constituted pursuant to the meeting dated 18.12.2025 shall hold consultations with TSDF institutions and determine practical rates for lifting and safe disposal of chromium waste within a period of **six months**, and thereafter propose the requisite budget to the Department of Infrastructure and Industrial Development. It has further been directed that upon completion of safe disposal, the Committee shall undertake remediation of the affected soil and groundwater with the assistance of appropriate technical institutions.

21. That, the deponent is duty bound to fulfil the obligations which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal without demur or delay.



Hence, this Action Taken Report is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

23. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Fatehpur on this 2 day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 23 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

DEPONENT



Solemnly affirmed before
Sri S.K. Gupta
Identified by Sri and I am
today between Sri
Satisfied by examining the deponent that
Which has been read over and explained to
him.
The Received Rs. ---
our Receipt N. ---

(Signature)
Notary
District-Fatehpur
21/2/2026

Proposal on**Mapping of Contaminants in Surface Water, Groundwater, Soil, and Air in
Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Fatehpur districts of UP****Submitted by: IIT Kanpur**

1. Prologue:

IIT Kanpur received communications from the District Magistrates of Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Fatehpur districts, and Secretary, Environment Forest and Climate Change Division, UP Government regarding proposal for the sampling and contaminants analysis in the groundwater, surface water, soil and air samples from the industrial pollution affected areas of Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Fatehpur districts of UP, as per the directives of National Green Tribunal (NGT) wide O.A. No. 985/2019 (IA No. 568/2024) with O.A. No. 528/2023 with O.A. No. 934/2024. A cluster-based sample survey and GIS-Based Mapping of entire affected region was expected to be taken up by IIT Kanpur.

In this connection, in-person and telephonic discussions were held with IIT Kanpur team and the UPPCB regional officers (RO) from concerned divisions, where IIT Kanpur requested for the list of pre-identified affected areas.

Based on the list shared by the concerned divisions of UPPCB, this proposal is prepared for the phase-wise sampling and analysis of the contaminants in the different environmental medium in the region.

2. Study Area:

As per the direction, study will be conducted in three districts of Uttar Pradesh, namely Fatehpur, Kanpur Nagar and Kanpur Dehat. These districts include known chromium-affected industrial zones, legacy waste dumping sites, residential areas and agricultural lands. The list of pre-identified affected area in the three districts are given below in Table 1.

Table 1: List of pre-identified affected areas in the three districts of concern.
(Information Source: UPPCB)

Kanpur Dehat District	Kanpur Nagar District	Fatehpur District
<p>Affected Areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rania Industrial Area (primary chromium hotspot) • Yadavpurwa hamlet • Chauhanpurwa hamlet • Palanpurwa hamlet • Umran village • Gharampur village • Shivnathpurwa • Agricultural lands downstream of the Rania industrial area • Industrial drains, ponds and low-lying water bodies near Rania 	<p>Affected Areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juhi Baburiya (Rakhi Mandi) • Afeem Kothi (Rakhi Mandi) • Jajmau Industrial Area • Tejab Mill Campus, Anwarganj • Golaghat area • Panki Industrial Area • Naureya Kheda / Naubasta area • Ruma Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) 	<p>Affected Areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gudhrauli Village and surrounding residential areas • Gudhrauli–Baniyankheda Road (both left and right sides) • Sheetla Mata Mandir (front and back), Gudhrauli • Kali Mata Mandir near highway, Gudhrauli • Area near railway track underpass, Gudhrauli • Madhuchanda Technochem dump yard along GT Road • Abhaypur village (near tyre factory / Ganpati Traders) • Nursing College area along GT Road–Abhaypur Road • Flour mill (Atta Chakki) area along GT Road–Abhaypur Road
<p>Type of locations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Villages, agricultural fields, residential, and industrial regions 	<p>Type of locations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprise industrial estates, dense residential zones, waste handling facilities and transport-linked commercial areas 	<p>Type of locations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locations represent residential, roadside, religious, industrial and agricultural settings
<p>Identified sources of contamination:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historical dumping of chromium waste and other industrial wastes 	<p>Identified sources of contamination:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industrial and commercial zones with potential chromium contamination 	<p>Identified sources of contamination:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historical dumping of chromium waste • Chromium exposure is likely through multiple pathways

3. Scope and Objectives

The overall objective of the proposal is to assess the state and extent of contamination (primarily industrial pollutants and heavy metals including Chromium, Iron, Mercury, Lead, Arsenic) in the study area (Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Fatehpur districts), and suggest potential mitigation/adaptation measures. The specific phase-wise scope includes following:

Phase-I: Condition assessment of identified hotspots/affected regions

- 1) Site-visit and reconnaissance survey of the affected regions in the selected districts
- 2) Design and device a statistically-adequate sampling strategy for surface waters, groundwaters, soils and ambient air samples, considering local site conditions, depth of the affected regions to obtain vertical profile of contaminant spread, if needed.
- 3) In consultation with UPPCB regional offices, identifying industrial effluent discharge locations to be sampled
- 4) Collection of surface water, groundwater, industrial effluents, soil and ambient air samples from the identified spots following scientific sampling and sample preservation protocols.
- 5) Analysis of surface water, groundwater, effluent discharge, soil and air samples for relevant parameters as under:
 - i. General physico-chemical parameters (pH, EC, TSS, TDS, hardness etc.), selected heavy metals, microbiological indicators, nutrients and organic pollutants in water samples and industrial effluent discharges (as applicable)
 - ii. General soil quality parameters (pH, OC, NPK, CEC, texture etc.) and selected heavy metals and other pollutants in soil samples after extraction (as applicable)
 - iii. PM_{2.5}, PM₁₀, gaseous pollutants, VOCs, and particulate-bound metals in ambient air samples
- 6) Quantitative mapping of contaminated sites (hotspots) on GIS-Platform
- 7) Working out potential mitigation and/or adaptation strategies for minimizing public health risk of detected pollutant concentrations in the affected regions
- 8) Submitting Phase-I report with quantitative mapping of contaminants in pre-identified affected regions with recommendations on mitigation/adaptation measures

Phase-II: Mapping of entire affected districts for quantitative estimation of the spread of the contamination (if any) in different environmental mediums.

- 1) Designing a sampling strategy for coverage of the entire districts, based on the results of Phase-I study, additional input from secondary sources, and consultation with UPPCB and district authorities.
- 2) Sampling and analysis of surface waters, groundwaters, soils and ambient air samples along with industrial effluent discharge samples from the entire districts as per designed sampling plan
- 3) Testing and analysis, as described for Phase-I
- 4) GIS based detailed regional mapping of the contaminants in the three identified districts
- 5) Submitting Phase-II report with detailed quantitative mapping of contaminants in the districts with recommendations on mitigation/adaptation measures

4. Methodology/Approach

- a. Field Samplings will be conducted according to APHA 23rd Ed., CPCB, and BIS 10500:2012 guidelines.
- b. GPS tagging of all sample locations will be done using calibrated Geo-tagged imageries
- c. Required laboratory analysis will be done following standard methods APHA for metals (ICP-OES / ICP-MS), Organics (GC/LC), Ions (Ion chromatography), Soil nutrients (Standard agronomic methods), Air particulates (Gravimetric analysis + metal digestion).
- d. Adequate QA / QC measures will be adapted, considering field duplicates (5%), field and trip blanks, equipment blanks, calibrated meters and certified standards
- e. Data analysis will be done following descriptive & inferential statistics, correlation matrix, pollution indices, and district-wise trend analysis
- f. GIS & Spatial Modeling following Inverse Distance Weighting / Kriging interpolation, hotspot mapping, and thematic contamination layers

4. Expected number of Samples:

An estimate of total number of samples to be collected and analysed from different environmental medium under Phase -I is listed in Table 2.

For Phase -I:

- Given that there are 8-9 identified affected area in each district (Table 1), and assuming 5-7 sampling sites in and around each identified affected area, there are likely to be around 100 samples per district considering two sampling cycle (≈ 50 samples/per cycle/per district) for surface water, groundwater, soil and air samples.
- Further, to capture vertical spread of contaminants, groundwater and soil samples will be collected from varying depths at same sampling locations. On an average, considering sampling at 3 different depths per site, the soil and groundwater samples per district would be nearly 300 per district.
- Number of industrial effluent discharge samples may only be decided based on the consultation with UPPCB and district authorities.
- This estimate is tentative, and number of samples may change based on the actual site conditions, and subsequent study results indicating need of revised sampling plan.

Table 2: Tentative number of samples to be collected and analyzed in Phase-I of the study

District	Surface Water Samples	Groundwater Samples	Soil Samples	Ambient Air Samples	Industrial Effluent Discharge Samples
Kanpur Dehat	100	300	300	100	To be decided based on the consultation with UPPCB and district authorities.
Kanpur Nagar	100	300	300	100	
Fatehpur	100	300	300	100	

The estimated number of samples for Phase-II may be worked out later, based on the outcome of Phase-I results.

5. Time-Line:

Total Time for the Phase-I Study: 6 Months

Activity	Month-1	Month-2	Month-3	Month-4	Month-5	Month-6
Planning & Permissions						
Reconnaissance Survey						
Sampling and Analysis						
GIS Mapping						
Report Preparation						

Phase-II of the study will require another 6-12 months depending on scale of sampling and analysis required.

6. Project Budget

Component	Approximate Amount (INR)
Cost of the study (Includes: Travel & logistics, site surveys, salary and honorarium to manpower, sampling and testing charges, consumables, lab fees, equipment charges, filed analysis kits, and contingencies)	1,80,00,000/-
Institute Overhead (25%)	45,00,000/-
Total	2,25,00,000/-
GST (18%)	40,50,000/-
Total including GST	₹2,65,50,000/-

7. Deliverables

- Comprehensive environmental database for 3 districts.
- Identification of heavy-metal contamination zones.
- Soil fertility and degradation mapping.
- Air quality and air pollution maps
- GIS-based contamination maps.
- Recommendations on mitigation/adaptation measures

प्रेषक,

जिलाधिकारी
कानपुर देहात।

ANNEXURE-2

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-7)
लखनऊ।

पत्रांक:- 824/2010/R-130/2026

दिनांक:- 06/01/2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 985/2019 (IA No 568/2024) In Re: Water Pollution by tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh With O.A. No. 986/2019 in Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh With O.A. No. 528/2023 (I.A. No. 261/2025) News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding pollution in the Godhrauli Village" में पारित ओदश दिनांक 07.11.2025 एवं दिनांक 25.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A.No. 985/2019 (IA No 568/2024) In Re: Water Pollution by tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh With O.A.No. 986/2019 in Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh With O.A. No. 528/2023 (I.A. No. 261/2025) News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding pollution in the Godhrauli Village" में पूर्व में पारित आदेशों के क्रम में एमिकस क्यूरी एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा 22 बिन्दुओं पर सुझाव/संस्तुति की गयी, दिये गये सुझावों/संस्तुतियों के अनुपालन हेतु मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 के प्रस्तर-5 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-


".....5. In terms of the order of the Tribunal dated 07.10.2025, Dr. M. Srinivas, Director, AIIMS, New Delhi has appeared virtually and has suggested that the large-scale mapping of the area is required to be done in respect of water source, food chain, industrial effluent discharge, air quality and soil contamination to ascertain the root cause of the problem. He has submitted that multi-sectoral approach is required to detect and remediate this problem and his further suggestion is that the CSR funds by the corporate sector under the Corporate Social Responsibility should also be utilized. He has further suggested that the IIT, Kanpur can be involved for carrying out the air, water and soil analysis of the area and the analysis of effluent discharge from the industries and GSVMM College, Kanpur can do the cluster waste sample survey to ascertain the extent of the problem. He has also suggested that a database of the sample test results should be created so that the repeated sample of the same individual is not required to be taken and the arrangement of potable water should be made to those who are affected by heavy metals. He has submitted that if the comprehensive mapping is done, and the database is provided to the AIIMS then appropriate remedial measures can be suggested."

उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में अद्योहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 15.11.2025 द्वारा निदेशक आई०आई०टी० कानपुर को मा० अधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद कानपुर देहात के रनियां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर के संकमित एवं आस-पास के क्षेत्रों में जल, वायु एवं मृदा के दूषित होने के कारको के साथ-साथ औद्योगिक उत्प्रवाह का भी विश्लेषण करने हेतु संस्थान से सहयोग/विशेषज्ञता लिये जाने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया। जिस संबंध में मा० अधिकरण को शपथ पत्र के साध्यम से अवगत कराया गया है।

विद्वान अधिवक्ता उ०प्र० राज्य द्वारा मा० अधिकरण में दिनांक 25.11.2025 को नियम सुनवाई में दिये गये निर्देशों क अनुपालन तीन सप्ताह में किये जाने हेतु सहमति प्रदान किया गया है।

तत्कम में सिविल इंजीनियरिंग विभाग (पर्यावर्णीय अभियान्त्रिकीय), आई०आई०टी० कानपुर के ई-मेल दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रभावित जनपदों में दो चरणों में मैपिंग किये जाने एवं उक्त हेतु व्यय कुल धनराशि 2,65,50,000/- (दो करोड पैसठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(कपिल सिंह)

जिलाधिकारी

कानपुर देहात

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-श्री भंवर पाल सिंह जादोन (एडवोकेट), 121, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi-110001.

जिलाधिकारी

कानपुर देहात

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्र सं० : 1166/सा-147/26

दिनांक : 12/01/26

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 985/2019, ओ०ए० 986/2019, ओ०ए० 528/2023 एवं ओ०ए० 934/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 985/2019 (IA No 568/2024) WITH Original Application No. 986/2019 WITH Original Application No. 528/2023 (I.A. No. 261/2025) WITH Original Application No. 934/2024 के अनुपालन हेतु Learned Amicus Curiae द्वारा 22 Recommendation दिये गये हैं जो मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 में उल्लिखित हैं (संलग्नक-1)। बिन्दु संख्या 12, 19, 21 एवं 22 पर उल्लिखित Recommendation क्रमशः हैं:-

12. Soil & Ground Water Remediation.

19. Find out the source of Chromium, Mercury, Fluoride, and Iron in the eco-system.

21. Survey and Mapping of Ground water Contamination in Fatehpur and Kanpur Dehat, Kanpur Nagar.

22. Survey of People/ Cattle/ Food Chain- To Check Degree of Contamination and create an effective Remediation Plan Against Bio- Accumulation of Heavy Metals.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 के बिन्दु संख्या 05 में निम्नवत् उल्लेख है:-

....."In terms of the order of the Tribunal dated 07.10.2025, Dr. M. Srinivas, Director, AIIMS, New Delhi has appeared virtually and has suggested that the large-scale mapping of the area is required to be done in respect of water source, food chain, industrial effluent discharge, air quality and soil contamination to ascertain the root cause of the problem. He has submitted that multi-sectoral approach is required to detect and remediate this problem and his further suggestion is that the CSR funds by the corporate sector under the Corporate Social Responsibility should also be utilized. He has further suggested that the IIT, Kanpur can be involved for carrying out the air, water and soil analysis of the area and the analysis of effluent discharge from the industries and GSVM College, Kanpur can do the cluster waste sample survey to ascertain the extent of the problem....."

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पत्र संख्या 1038/सा०-147/25, दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु आई.आई.टी., कानपुर को पत्र प्रेषित किया गया था (संलग्नक-2)। तत्क्रम में आई.आई.टी., कानपुर के ई-मेल दिनांक 23.12.2025 द्वारा फेज-1 में किये जाने वाले कार्य हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमानित बजट कुल रूपये 2,65,50,000/- सूचित है (संलग्नक-3)।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आई. आई.टी., कानपुर से फेज-1 का कार्य कराये जाने हेतु कुल धनराशि रूपये 2,65,50,000/- को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
12.01.2026
(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

पत्रांक एवं दिनांक :- उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय: विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

संख्या: 1081 / मेडिसिन / 2026

दिनांक: 08-01-2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-985/2019 (आई०ए० सं०-568/2024) In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh With Original Application No. 986/2019 and Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh with Original Application No-528/2023 News report published in Daink Jagran Date 14-08-2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli Village District Fatehpur with Original Application No.934/2024 Rajat Verma versus Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board & Or." के सम्बन्ध में।

महोदय,


जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 123/एस.टी./2025 दिनांक: 29.11.2025 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांक संख्या- 3495 दिनांक: 29.11.2025 के अनुपालन में आज दिनांक: 08.01.2026 को मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में बैठक आहूत की गई। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जो निम्नवत है:-

1-Clusterwise Sample Survey का प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर द्वारा प्रेषित किया जायेगा जो कि एम्स, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में बनाया जायेगा साथ ही सर्वे के लिए अनुमानित व्यय भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

2-सर्वे कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर के चिन्हित प्रभावी क्षेत्र में कराया जायेगा, हर क्षेत्र से 05 मोहल्ले और हर मोहल्ले से 30 घरों में रहने वाले 05 वर्ष से कम आयु एवं 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों के खून में हैवी मेटल उपस्थिति की जांच हेतु ब्लड सैम्पल लिया जायेगा एवं एम्स द्वारा बनाया गया प्रोफार्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर /कानपुर देहात एवं फतेहपुर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भरा जायेगा। मेडिकल कालेज, कानपुर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के डाक्टरों द्वारा सर्वे में सहायता प्रदान की जायेगी।

3-इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा हेल्थ कैम्प का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रभावित लोगों का क्लीनिकल असेसमेंट मेडिकल कालेज कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर के डाक्टरों द्वारा किया जायेगा। इस कैम्प में औषधियों का वितरण एवं मरीजों में जागरूकता का कार्य भी किया जायेगा।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानपुर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा जिन मरीजों में हैवी मेटल खून की जांच में पाया जायेगा उनका क्लीनिकल परीक्षण एवं सामान्य जांच करने के उपरान्त गंभीर मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल कालेज, कानपुर नगर की मेडिसिन ओ०पी०डी० नम्बर 06 में मंगलवार एवं शुक्रवार को भेजा जायेगा।



5-इसके लिए इन मरीजों के रेफरल पर्चे को लाल/गुलाबी रंग से कलर कोड एवं रेफरल स्टैम्प लगाकर भेजा जायेगा एवं वाहटसएप ग्रुप पर भी इसकी जानकारी प्रदान की जायेगी।

6-रिफर हुए मरीजों का उपचार एवं फालोअप मेडिकल कालेज, कानपुर में ही किया जायेगा।

7-ब्लड सैम्पल की जांच वर्तमान में डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। भविष्य में विषय की गंभीरता को संज्ञान में रखते हुए मेडिकल कालेज, कानपुर में पैथोलॉजी विभाग द्वारा हैवी मेटल टेस्टिंग मशीन की सुविधा के लिए प्रस्ताव भी बनाकर भेजा जायेगा, जिससे भविष्य में यह जांच जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, के स्तर से भी हो जाये।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर के द्वारा सर्वे के लिए बजट जिसमें कैम्प के आयोजन IEC मटेरियल और एम्स की टीम का टी०ए०/डी०एस० एवं सैम्पलिंग खर्च एवं औषधियों इत्यादि खर्च का बजट स्वास्थ्य भवन डी०जी०एच०एस०, लखनऊ को भेजा जा चुका है/भेजा जायेगा।

- समस्त सर्वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर द्वारा जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर से समन्वय स्थापित करके कराया जायेगा एवं मेडिकल कालेज से तकनीकी सहायता एम्स, नई दिल्ली की टीम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त किया जयोगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर एवं जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर/मेडिकल कालेज, कानपुर देहात एवं मेडिकल कालेज, फतेहपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए समय-समय पर सर्वे की मॉनीटरिंग की जायेगी।
- समस्त सर्वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर/ कानुपर देहात एवं फतेहपुर द्वारा एम्स, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश में किया जायेगा तथा समय-समय पर एम्स नई दिल्ली की टीम द्वारा सर्वे की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

9-उपरोक्त सभी कार्ययोजना जिला-कानपुर नगर/कानपुर देहात एवं फतेहपुर के संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मेडिकल कालेज में समन्वय स्थापित करते हुए लागू करना उचित होगा।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० योगेन्द्र नारायण वर्मा)
सह आचार्य, पैथोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(डा० सौरभ त्रिपाठी)
सहा० आचार्य कम्प्यु०मेडि० विभाग
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(डा० मधु यादव)
सह आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

(श्री सौरभ हैरिस)
जे०आर०एफ०, यू०पी०पी०सी०बी,
कानपुर नगर।

(डा० एस०पी० यादव)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०डी० नोडल
कानपुर नगर।

(श्री कमल अमीन अंसारी)
डिस्टिक अर्बन हेल्थ कार्डिनोटर,
कानपुर नगर।

(डा० बी०पी० प्रियदर्शी)
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,

संख्या: 1081/2026 तद्दिनांक: 8/1/2026

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—जिलाधिकारी, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
- 2—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर

सेवा में,
जिलाधिकारी
फतेहपुर

पत्रांक:- मु0चि0अ0/एन0जी0टी0/सूचना/2025-26

दिनांक 31.01.2026

विषय- राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-985/2019(आईए सं0-568/2024) के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय

प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र संख्या- 947/मेडिसिन/2025 दिनांक 03.12.2025 के क्रम में दिनांक 20 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के मध्यम चारो ग्रामो का सर्वेक्षण कर 10 क्लस्टर में 600 के सापेक्ष 568 सैम्पल एकत्र कर लिया गया। सूचना संलग्न कर प्रेषित है:-

उपरोक्त सूचना सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

तददिनांक

पत्रांक:- मु0चि0अ0/एन0जी0टी0/सूचना/2025-26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. प्रचार्य अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर।

(सैम्पलिंग अवाधि-दिनांक 20.01.2026 से 29.01.2026 तक)
हैवी मेटल संदूषण चिन्हकित किये गये क्षेत्रों का विवरण

क0सं0	चिन्हित क्षेत्रों का नाम	राजस्व ग्राम	वार्ड / ग्राम का विवरण	वार्ड नम्बर	मोहल्लो का नाम	कलस्टर संख्या	सर्वेक्षण हेतु घरों की संख्या	सर्वेक्षण के उपरान्त सैम्पलों की संख्या		चिन्हित क्षेत्रों की	
								लक्षित	एकत्रित	जनसंख्या	घरों की संख्या
1	गोधरौली	गोधरौली	गोधरौली	4	30	240	230	2582	483
2	आशापुर	आशापुर	आशापुर	2	30	120	120	740	133
3	अभयपुर	अभयपुर	अभयपुर	2	30	120	110	1166	229
4	बनियन खेडा	बनियन खेडा	बनियन खेडा	2	30	120	108	1393	327

नोट- 333 सैम्पल दिनांक 22 एवं 27 जनवरी, 2026 को जाँच हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया लखनऊ भेजा गया।

शेष 235 सैम्पल दिनांक 31 जनवरी 2026 को जाँच हेतु उक्त संस्थान भेजा **कम्पेनांग डाक्टर**

नाडल आधिकारी

एन0जी0टी0 फतेहपुर

मुख्य चिकित्साधिकारी

फतेहपुर

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
जी०एस०वीएम०मेडिकल कालेज,
कानपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

संख्या: 600/एन०डी०/2026

दिनांक: 31/01/2026

विषय:- Original Application No.985@2019(I.A.No.568/2024)In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Nagar Uttar Pradesh With Original Application No.986/2019 Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh With Original Application No.528/2023 News report published in Danik Jagran Dated 14-08-2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli Village District Fatehpur with Original Application No.934/2024 Rajat Verma versus Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board & Or. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि मण्डलायुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13-01-2026 को हुई जूम मीटिंग के क्रम में गठित अनुसंधान/अध्ययन समिति, मेडिकल कालेज कानपुर की दिनांक 28-01-2026 को मेडिसिन विभाग में बैठक आहूत कर सम्बन्धित आख्या पत्र संख्या-2059/मेडिसिन/2026 दिनांक 31-01-2026 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० संजय काला)
प्रधानाचार्य

संख्या:- /तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात को संलग्नको सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० संजय काला)
प्रधानाचार्य

कार्यालय: विभाग अध्यक्ष, चिकित्सा विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल अध्यापक, कानपुर।

संख्या 2059/मेडिसिन/2026

दिनांक 31-01-2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज,
कानपुर।

महोदय,

मण्डलायुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक: 13-01-2026 को हुई जूम मीटिंग में जिला-कानपुर नगर/कानपुर देहात/फतेहपुर में हैवी मेटल के गैर प्रभावित (Non&affected Area) क्षेत्रों में सर्वे/जांच हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में दिनांक: 28-01-2026 को मध्याह्न: 12:00 बजे को मेडिसिन विभाग, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जो निम्नवत है:-

- 1- फेस-2 (Non&affected Area) की सभी कार्ययोजना फेस 1 (Affected Area) की तरह संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज में समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा।
- 2-सर्वे सैम्पलिंग मैथेडोलॉजी एवं प्रोफार्मा एम्स न्यू दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार फेसवाइस किया जायेगा।
- 3-उपरोक्त प्रोफार्मा हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय कानपुर नगर द्वारा एम्स न्यू दिल्ली से समन्वय स्थापित करते हुए दिशा-निर्देश हेतु अनुरोध किया जायेगा।
- 4- उपरोक्त सभी कार्य हेतु (वाहन, सैम्पलिंग खर्च, स्टेशनरी, अल्पाहार एवं कैम्प से संबंधित इत्यादि खर्च) बजट संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य भवन डी०जी०एच० एस० लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। बजट प्राप्त होने के उपरान्त सर्वे आरम्भ किया जायेगा।
- 5- फेस-2 (Non&affected Area) की सर्वे/सैम्पलिंग लगभग एक वर्ष में पूर्ण करना उचित होगा।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० योगेन्द्र नारायण वर्मा)
सह आचार्य, पैथोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० सौरभ त्रिपाठी)
सहा० आचार्य, कम्प्यु० मेडि० विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० मधु यादव)
सह आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग,
सदस्य अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

(डा० विमलेश कुमार)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
फतेहपुर।

(डा० एस०पी० यादव)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
कानपुर नगर।

(डा० आशीष बाजपेई)
डिप्टी सी०एम०ओ०/एन०जी०टी० नोडल,
कानपुर देहात।

(श्री कमरुल अमीन अंसारी)
डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कोर्डिनेटर,
कानपुर नगर।

(डा० बी०पी० प्रियदर्शी)
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष अनुसंधान/अध्ययन समिति
जी०एस०वी०एम० मेडिकल कॉलेज, कानपुर।

संख्या /मेडिसिन/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, एवं फतेहपुर।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-985/2019 विद ओ०ए० संख्या-986/2019 विद ओ०ए० संख्या-528/2023 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2025 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे लोक भवन स्थित मुख्य सचिव सभागार में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-985/2019 विद ओ०ए० संख्या-986/2019 विद ओ०ए० संख्या-528/2023 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2025 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे लोक भवन स्थित मुख्य सचिव सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा सन्दर्भित ओ०ए० में आच्छादित विषयवस्तु से अवगत कराते हुए सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सन्दर्भित ओ०ए० के सम्बन्ध में विस्तार से प्रस्तुतीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई।

3- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019 में मा० अधिकरण द्वारा O.A. No. 985/2019 Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh एवं O.A. No. 986/2019 Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में सुनवाई करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को आदेश पारित किए गए तथा उक्त ओ०ए० में दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को मा० अधिकरण द्वारा खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में अन्य विभागों के साथ एक ऐक्सपर्ट कमेटी गठित की गई। उक्त ऐक्सपर्ट कमेटी की बैठक दिनांक 13 मई, 2022 में खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु निम्न निर्णय लिए गए:-

(क) खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारण हेतु दरें निर्धारित करने हेतु समिति गठित की गई। उक्त समिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली; राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली; उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशा०), कानपुर देहात को सम्मिलित किया गया।

(ख) क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारण का कार्य गठित समिति के पर्यवेक्षण में स्थानीय स्तर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से पूर्ण कराया जाए। उप समिति में जनपद कानपुर देहात के क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० को भी सम्मिलित किया गया। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यक बजट का प्राविधान कराकर जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा संचालित

ऐस्करो एकाउन्ट में जमा कराया गया।

4- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय जाप दिनांक 26 मई, 2022 द्वारा श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर ऐण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में तथा उप समिति की निगरानी में ग्राम-खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प लगभग 100527 मी०टन क्रोमियम वेस्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित रूप से निस्तारण कानपुर देहात में स्थित 02 (टी०एस०डी०एफ०) **Treatment, Storage, and Disposal Facility** for hazardous waste के माध्यम से कराया गया है।

5- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या 528/2023 में दिनांक 21 अगस्त, 2023 को आदेश पारित करते हुए उक्त ओ०ए० को उपरोक्त वर्णित ओ०ए० संख्या-985/2019 एवं ओ०ए० संख्या- 986/2019 के साथ सम्बद्ध कर अग्रेतर सुनवाई की जा रही है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2025 में Amicus Curiae द्वारा की गई 22 संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही एवं समयसीमा तथा पुनः आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2025 में उक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा से मा० अधिकरण को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

7- अग्रेतर सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि Amicus Curiae द्वारा की गयी 22 संस्तुतियों में क्रम संख्या-11 के अन्तर्गत डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु संस्तुति की गई है। खानचन्दपुर, रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण उपरोक्त वर्णित समिति एवं उप समिति के माध्यम से कराया जा चुका है तथा ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सम्बन्ध में सान्द्रता एवं मात्रा का आंकलन बोर्ड द्वारा आई०आई०टी०आर० लखनऊ से कराया गया है। आई०आई०टी०आर०, लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गुधरौली फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के 12 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुल डम्प क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 59091 घन मी० आंकलित है।

8- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात से निस्तारित डम्प क्रोमियम के उपरान्त भी समय-समय पर सन्दर्भित ओ०ए० में आबद्ध Amicus Curiae द्वारा भी सूचना प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में उक्त स्थल का भ्रमण किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत यह उचित होगा कि जिला स्तर पर गठित उप समिति में तकनीकी संस्थान का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित कर लिया जाए।

9- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत उक्त उप समिति में स्वास्थ्य विभाग का भी प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

10- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रामबाबू द्वारा अवगत कराया गया है कि कन्टैमिनेटेड साइट्स के रेमिडियेशन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2025 को जारी

की गई है, जिसके अन्तर्गत रेमिडियेशन हेतु प्रक्रिया एवं वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। उक्त अधिसूचना में निहित प्राविधानों की प्रस्तावित रेमिडियेशन कार्यों हेतु सहायता ली जा सकती है।

11- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात से निस्तारित डम्प क्रोमियम का कार्य भारत वर्ष में प्रथम बार एवं उक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के साथ-साथ उक्त स्थल पर पेयजल के समस्त स्रोत प्रतिबन्धित करते हुए स्थल पर पेयजल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी।

पूर्व में खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण की सम्पन्न कार्यवाही के दृष्टिगत अग्रेतर ग्राम गुधरौली, फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से कराए जाने हेतु कार्य में आने वाले व्यय की दरों को निर्धारण के साथ-साथ मृदा व भूजल के रेमेडियेशन हेतु उपयुक्त तकनीकी / संस्था के चयन हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित की जाए:

1-	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि (निदेशक स्तर का)	- अध्यक्ष
2-	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ	- सदस्य संयोजक
3-	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि (निदेशक स्तर का)	- सदस्य
4-	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), फतेहपुर	- सदस्य

उक्त समिति द्वारा कन्टैमिनेटेड साइट्स के रेमिडियेशन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2025 का अध्ययन करते हुए टी०एस०डी०एफ० संस्थाओं के साथ बैठक कर क्रोमियम वेस्ट के उठान एवं टी०एस०डी०एफ० में इनके सुरक्षित निस्तारण हेतु व्यावहारिक दरें 06 माह में निर्धारित करते हुए कुल व्यय से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को अवगत कराया जाएगा। क्रोमियम के सुरक्षित निस्तारण के उपरान्त मृदा एवं भू-गर्भीय जल के रेमिडियेशन हेतु तकनीकी संस्थानों की सहायता से तकनीक विकसित की जाएगी।

(कार्यवाही-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली/उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ/एन.एम.सी.जी./जिलाधिकारी, फतेहपुर / समिति)

(ख) ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण का कार्य एवं तदोपरान्त मृदा एवं भू-गर्भीय जल के रेमिडियेशन हेतु गठित समिति के पर्यवेक्षण में

स्थानीय स्तर पर कार्यो को सम्पादित एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराए जाने हेतु निम्नानुसार एक उप समिति का गठन किया जाए:-

1-	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), फतेहपुर	- अध्यक्ष
2-	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, फतेहपुर	- सदस्य
3-	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
4-	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य
5-	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, प्रयागराज	- सदस्य संयोजक

उक्त उप समिति द्वारा गठित समिति के तकनीकी निर्देशन में क्रोमियम वेस्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण तथा मृदा व भूजल के रेमेडियेशन की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति की रिपोर्ट जिलाधिकारी, फतेहपुर के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा समिति को प्रेषित की जाएगी।

(कार्यवाही- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन / लोक निर्माण / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन / जिलाधिकारी, फतेहपुर / आई०आई०टी०आर० / उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ / उप समिति)

(ग) जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा उक्त कार्यो हेतु ऐस्करो एकाउण्ट खोला जाए तथा उक्त एकाउण्ट का विवरण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन तथा समिति को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, फतेहपुर/समिति)

(घ) ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण, भूजल एवं मृदा के रेमेडियेशन कार्य के सम्पादन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा आवश्यक बजट प्राविधान कराया जाए एवं जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा संचालित ऐस्करो एकाउण्ट का वित्तीय प्रबन्धन किया जाए।

(कार्यवाही-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, फतेहपुर)

(ड) संदर्भित ओ०ए० में Amicus Curiae द्वारा दी गई 22 संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित कराई जाए तथा दूरगामी कार्यवाही हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर मा० अधिकरण में शपथ-पत्र सम्बन्धित विभागों द्वारा दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग के कार्यालय जाप दिनांक 21 जनवरी, 2025 के माध्यम से मण्डलायुक्त कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त कार्य का समय-समय पर अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को ई-मेल envsection7@gmail.com एवं उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को ई-मेल ms@uppcb.in पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग एवं मण्डलायुक्त, कानपुर)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
VINAY KUMAR SINGH
(~~दिनांक: 13/01/2026~~
14/01/2026) सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या- NGT-37 /81-7-2026-44(रिट)/2016 टी.सी.-2

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नगर विकास / लोक निर्माण / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति / चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, लखनपुर, कानपुर।
- 5- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 6- जिलाधिकारी, कानपुर नगर / कानपुर देहात / फतेहपुर
- 7- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय / ग्रामीण), लखनऊ।
- 9- श्री सुधीर चिन्तलपट्टी, वैज्ञानिक-ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 10- डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 11- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 12 -डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 13- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 14- डा० के०सी० खुल्बे, हेड रिसर्च प्लानिंग एण्ड बिजनेस डेवलपर्स डिवीजन, सी०एस०

आई०आर०-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

15- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

16- अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

17- गार्ड फाईल।

Digitally signed by आज्ञा से,
SHAIENDRA KUMAR
Date: 12-01-2026
18:14:21 (शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।